भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1406
जिसका उत्तर मंगलवार, 08 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है

कारों द्वारा प्रदूषण

1406. श्री शिशिर कुमार अधिकारी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कारों के मॉडलों का देश में परीक्षण करने पर उन्हें भारी प्रदूषण उत्सर्जित करते हुए पाया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) कारों द्वारा जनित भारी प्रदूषण पर अंकुश रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी० एम० सिद्देश्वर)

(क) और (ख): भारतीय कारों के सभी मॉडलों का परीक्षण केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित मानकों के अनुसार किया जाता है। केवल अनुपालन करने वाले वाहनों को टाइप अनुमोदन दिया जाता है। यह वाहन विनिर्माताओं की जिम्मेदारी है कि वे वाहनों का उत्पादन निरंतर आधार पर अधिसूचित मानकों के अनुसार करें। भारत सरकार की ओर से, परीक्षण एजेन्सियां उत्पादन के अनुरूप (सीओपी) परीक्षण नामक प्रक्रिया के माध्यम से उत्सर्जन निष्पादन के लिए इस अनुपालन का सत्यापन करती हैं।

(ग): सरकार नए तथा प्रयोग किए जा रहे वाहनों से हो रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। ऐसे कुछ कदम नीचे दिए गए हैः-

(i) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मॉडल आधारित स्वचालित निरीक्षण और प्रमाणन परीक्षण केन्द्रों की स्थापना।
(ii) नए वाहनों के लिए आवधिक आधार पर पहले से ज्यादा कठोर उत्सर्जन मानदंड शुरू करना। इस समय बीएस V और बीएस VI मसौदा अधिसूचनाओं की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।
(iii) स्वचालित परीक्षण केन्द्रों के माध्यम से अक्षम और बहुत अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को अभिज्ञात करने की नीति स्थापित करना तथा ईएलवी (वाहन की उपयुक्तता का अंत) विनियमों को बढ़ावा देना।
(iv) वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन/हाइब्रिडाइज़ेशन की स्कीम की शुरूआत।
(v) विद्यमान डीज़ल और पेट्रोल वाहनों को अन्य स्वच्छ ईधनों जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि पर चलाने के लिए परिवर्तित करना।

*****